न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कुरवाई
जिला विदिशा मध्य प्रदेश

प्र. करण क्रमांक - /201 निगरानी-3211/2018/विदिशा/भू.रा.

अनुराग शर्मा पुत्र स्वरूप कृष्ण शर्मा
निवासी ग्राम ककरावली तह.पठारी
जिला विदिशा म.प्र.

-- प्रार्थी

बनाम

दिलीप सिंह चन्देल पुत्र दिनेशचन्द
निवासी ककरावली मकान न.93
शिवलिका कानोनी पते न.-1 खजूरी
कला रोड पिपलानी भोपाल

--- प्रतिप्रार्थी

श्री ए० के० अग्रवाल अभि० द्वारा आज दि० 25-5-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 5.3.18 पारित
न्यायालय तहसीलदार प्रकरण क्रमांक 008 /अ-6 /17-18
ग्राम ककरावली अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विपरीत विधान एवं प्रकरण पत्रावली के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण मे नामांतरण प्रक्रिया का पालन ना कर प्रार्थी की आपत्ति पर प्रथम निराकरण ना कर प्रकरण मे नामांतरण आदेश करना चाहते है इस हेतु प्रार्थी ने अपनी लिखित आपत्ति दिनांक 16.1.18 को प्रस्तुत की थी जिसका जबाब अनावेदक द्वारा दिनांक 7.2.18 को प्रस्तुत किया जा प्रकार उक्त आपत्ति पर दिनांक 5.3.18 को सुनवाई कर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया किन्तु कोई आदेश पारित ना कर प्रकरण मे लम्बान किया जा रहा है ।

- दिनांक प्रकार प्रार्थी को कानूनी पेचदगी मे नामतरण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3211/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/06/2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अनेक न्यायदृष्टांत एवं विक्रय-पत्र की मूल प्रति पेश की जाकर छायाप्रति पर सत्यापन करते हुए प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया था। जिसमें अगली सुनवाई दिनांक को आपत्ति पेश हो जाने से प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जा रही है, जिसमें हस्तक्षेप का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	